मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003

ईमेल- mdcmsssm@nic.in

क्रमांक/ समग्र/एस.पी.आर./2018/110/360 भोपाल दिनांक 27/09/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त आयुक्त नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4. संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक/नगर पंचायत

मध्यप्रदेश।

विषय :- समग्र पोर्टल पर परिवार व व्यक्तियों के डेटा को शुद्व, प्रमाणिक एवं विश्वसनीय बनाने के संबंध में।

संदर्भ :- समग्र/एस.पी.आर./2018/63 दिनांक 16/03/2018 एवं समग्र/2018/110/166 दिनांक 23/06/2018

.....

विषयांतर्गत लेख है कि समग्र पोर्टल पर ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर निवासरत परिवारों व व्यक्तियों की मूलभूत जानकारी नाम, जन्मदिनांक (आयु), लिंग, वैवाहिक स्थिति, माता-पिता का नाम, पता इत्यादि के संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी का है। समग्र पोर्टल पर परिवार व व्यक्तियों की मूलभूत जानकारी का शुद्व, प्रमाणिक एवं विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है, मूलभूत जानकारी के शुद्व नहीं होने की स्थिति में पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो सकता है।

2. जिलों से समग्र आईडी में मूलभूत जानकारी नाम, जन्मदिनांक, लिंग, जाति में संशोधन व पोर्टल पर मृत घोषित व डिलीट समग्र आईडी को रिकवर करने हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे है।

3. उपरोक्त संबंध में सभी जिले अवगत हो कि समग्र पोर्टल पर आईडी में संशोधन हेतु आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी को अनुरोध किया जाता है व निर्धारित किये गये दस्तावेज उपलब्ध कराये जाते है। ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा उक्त दस्तावेज को समग्र पोर्टल पर अपलोड कर दस्तावेज के आधार पर जानकारी में संशोधन करने हेतु अनुरोध जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आयुक्त/जोनल अधिकारी नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद द्वारा दस्तावेज के आधार पर अपडेशन पर सहमति अथवा असहमति प्रदान की जाती है, सहमति की दशा में डेटा अपडेट हो जाता है।

4. पोर्टल पर किसी व्यक्ति को मृत घोषित करने से पूर्व मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल पर विधिवत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहियें, जिसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, इसके उपरांत भी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया जाना या मृतक की प्रोफाइल को बिना परीक्षण किये मृत घोषित जाना कार्य के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। प्रोफाइल में त्रुटि होने पर भी किसी व्यक्ति को मृत घोषित करने पर प्रोफाइल में संशोधन किया जाना संभव नहीं होता है।

अत: उपरोक्त प्रकार के प्रकरण में यदि एक बार संशोधन की अनुमति दी गई है तो उसके बाद प्रस्तावित संशोधन हेतु यह अनिवार्य होगा की प्रथम संशोधन करने वाले कर्मचारी/अधिकारी से यह पूछा जाए कि त्रुटिपूर्ण संशोधन (प्रथमबार) क्यों किया गया था? संतोषप्रद जवाब न मिलने पर ऐसे अधिकारी/शासकीय सेवक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए एवं कार्यवाही पश्चात ही इस कार्यालय को आईडी में संशोधन व रिकवर हेतु पत्र जिला कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया जाये, तदुपरांत ही उपरोक्त संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(बी. चन्द्रशेखर)
मिशन संचालक,
म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

पृ.क्र./समग्र/एस.पी.आर./2018/110/361 भोपाल, दिनांक27/09/2018

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्यांय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. विंध्याचल भवन, म.प्र. ।
4. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र.।

मिशन संचालक,
म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन